न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**
राजस्व वाद संख्या :– 191/2021

वादीगणः–

1. हरीराम पुत्र शिम्भुराम
2. पारसराम पुत्र पेमाराम
3. पुसीदेवी पत्नी पेमाराम जातियान मेघवाल निवासीगण भावी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. गोविन्द पुत्र भंवरलाल
2. ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल
3. समु पत्नी भंवरलाल जातियान मेघवाल निवासीगण–भावी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
4. उमराव पुत्री भंवरलाल पत्नी जिवणराम जाति मेघवाल निवासी बिनावास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
5. लीला पुत्री भंवरलाल पत्नी जगदीश जाति मेघवाल निवासी रामासनी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
6. मूलाराम पुत्र नारायणराम
7. मांगीदेवी पत्नी नारायणराम जातियान मेघवाल निवासीगण भावी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
8. यूको बैंक शाखा भावी तहसील बिलाडा
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थितिः– वादीगण – श्री गणपत लाल चौधरी एडवोकेट।
प्रतिवादी सं. 1 से 7– श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा एडवोकेट।
प्रतिवादी सं. 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी सं. 9– सरकारी पैरोकार।

<u>निर्णय</u> **दिनांक :–** 23/04/25

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भावी(जे.बी.) तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नंबर 2196 रकबा 2.0872 हैक्टयर, खसरा नंबर 2340 रकबा 1.3753 हैक्टयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 3.4625 हैक्टयर आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी 1/3 हिस्सा वादी सं. 1 का तथा 1/6 हिस्सा वादी सं. 2 का तथा 1/6 हिस्सा वादी सं. 3 का तथा 1/45 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 का तथा 1/45 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 का तथा 1/45 हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 का तथा 1/45 हिस्सा प्रतिवादी सं. 4 का तथा 1/45 हिस्सा प्रतिवादी सं. 5 का तथा 1/9 हिस्सा प्रतिवादी सं. 6 का तथा 1/9 हिस्सा प्रतिवादी सं. 7 का है। इस प्रकार यह भूमि पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। इसी प्रकार ग्राम भावी(जे.बी.) तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नंबर 2028 रकबा 2.7668 हैक्टयर आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी 1/2 हिस्सा वादी सं. 1 का तथा 1/30 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 का तथा 1/30 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 का तथा 1/30 हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 का तथा 1/30 हिस्सा प्रतिवादी सं. 4 का तथा 1/30 हिस्सा प्रतिवादी सं.5 का तथा 1/6 हिस्सा प्रतिवादी सं.6 का तथा 1/6 हिस्सा प्रतिवादी सं. 7 का है। इस प्रकार यह भूमि पक्षकारों की संयुक्त

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। विवादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से प्रतिवादी सं. 1 से 7 द्वारा वादीगण के हक व हिस्से की भूमि में काश्त करने में दखल करने से पक्षकारों में विवाद रहता है इस कारण वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 से 7 को तहसील में चलकर आपसी सहमति से बंटवाडा करने के लिए कहा , लेकिन प्रतिवादी सं. 1 से 7 इसके लिए तैयार नहीं हुये तो वादी सं. 1 का दावे के पद सं. 1 व 2 की 1/3- 1/2 हिस्सा तथा वादी सं. 2 व 3 अपने 1/6-1/6 हिस्से की भूमि का बंटवाडा कर अलग से वादीगण की खातेदारी में दर्ज कराने के लिए यह दावा पेश करना पड रहा है। प्रतिवादी सं. 1 से 7 वादीगण को उनके हिस्से की भूमि पर काश्त करने में अडचन पैदा कर रहे है, इस कारण वादीगण को अपने हिस्से की भूमि का बंटवाडा कर अलग से खातेदारी में दर्ज की गयी भूमि में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखल पैदा नहीं करने के लिए प्रतिवादी सं. 1 से 7 को पाबन्द करने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा के लिए दावा पेश करना पड रहा है।

अन्त में दावा पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भावी(जे.बी.) तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नंबर 2196 रकबा 2.0872 हैक्टयर, खसरा नंबर 2340 रकबा 1.3753 हैक्टयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 3.4625 हैक्टयर का बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस बंटवाडा किया जाकर वादी सं. 1 का 1/3 वा हिस्सा तथा वादी सं. 2 का 1/6 वा हिस्सा तथा वादी सं. 3 का 1/6 वां हिस्सा की भूमि अलग से वादीगण की अलग-अलग खातेदारी में दर्ज करने का आदेश फरमावें तथा ग्राम भावी(जे.बी.) तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नंबर 2028 रकबा 2.7668 हैक्टयर का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जाकर वादी सं. 1 का 1/2 वां हिस्सा की भूमि अलग से वादी सं. 1 की अलग खातेदारी में दर्ज करने का आदेश फरमावे एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो वादीगण की बंटशुदा भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नहीं करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण का दावा दिनांक 12.07.2022 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम भावी(जे.बी.) तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नंबर 2196 रकबा 2.0872 हैक्टयर, खसरा नंबर 2340 रकबा 1.3753 हैक्टयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 3.4625 हैक्टयर का बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस बंटवाडा किया जाकर वादी सं. 1 का 1/3 वा हिस्सा तथा वादी सं. 2 का 1/6 वा हिस्सा तथा वादी सं. 3 का 1/6 वां हिस्सा की भूमि अलग से वादीगण की अलग-अलग खातेदारी में दर्ज करने का आदेश फरमावें तथा ग्राम भावी(जे.बी.) तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नंबर 2028 रकबा 2.7668 हैक्टयर का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जाकर वादी सं. 1 का 1/2 वां हिस्सा की भूमि का बंटवाडा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाडा ने बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है

क्र.सं.	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर	रकबा
	हरीराम पुत्र शिम्भुराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	2028	1.3510
	कुल योग	1	1.3510

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

2	ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल 2/15 रहन एचडीएफसी बैंक शाखा बिलाडा श्यामा पत्नी भंवरलाल 1/15 रहन एचडीएफसी बैंक शाखा बिलाडा मूलाराम पुत्र नारायणराम 1/3 रहन-यूको बैंक भावी मांगीदेवी पत्नी नारायणराम 1/3 सभी जाति मेघवाल सा.देह खातेदार	2028/1 2028/2 (रास्ता हेतु)	1.3510 0.0648
	कुल योग	2	1.4158

नोटः- खसरा सं. 2196 एवं 2340 का बंटवाडा नहीं करवाना चाहते है।

उक्त सारणी के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रखी गयी। तहसीलदार बिलाडा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री पालना रिपोर्ट पर वादीगण व प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा कोई आपति पेश नहीं की गई। बंटवाडा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 23.03.2025 के अनुसार वादीगण के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 23.03.2025 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 23/04/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादीगण :- **बनाम** **प्रतिवादीगण**
हरीराम गोविन्द वगैरा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :- 191/2021

निर्णय **दिनांक :-** 23/04/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरू हमारे व हाजरी श्री गणपत लाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 8 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही, तथा प्रतिवादी संख्या 9 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 23.03.2025 के अनुसार वादीगण के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 23.03.2025 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह -सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक -की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा